न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 247 / 2024

अनवान : –

1. सन्तोष पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी कुन्जी तहसील भादरा।

– **वादी**

बनाम

1. जगवीर उर्फ जगदीश पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसी नोहर–कलमजन।
2. पूनम कंवर पत्नी दयाल सिंह जाति राजपूत निवासी रावतसर तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. रामलाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 17/06/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 10/8 की कुल 5.4630 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए हक हिस्सा व कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 10/8 की कुल 5.4630 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का खाता व लगाान अलग अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 4 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर पर जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रह तत्पश्चात बहस सुनी गयी।

बहस सुनी गई। दौरान बहस वादी ... दावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया वादी की खरीद की हुई भूमि पर पास काबिज है अतः मु... हक हिस्सा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 17:50:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कब्जा काश्त के वांद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 10/8 की कुल 5.4630 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 सन्तोष पत्नी विनोद कुमार जाति जाट सा0 कुन्जी तहसील भादरा खातेदार रहन एसबीआई नोहर – **ख0न0 744 रकबा 3.035 हैक्ट**
2 रामलाल पुत्र श्योकरण जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन एसबीआई शाखा स्टेशन रोड़ नोहर– **ख0न0 746/1 की 0.835 हैक्ट, 747 की 0.961 हैक्ट कुल 1.7960 हैक्ट**
3 पूनम कंवर पत्नी दयालसिंह जाति राजपूत सा0 रावतसर खातेदार– **ख0न0 746/1 रकबा 0.632 हैक्ट**

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 17/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 17:50:27 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 247/2024

अनवान : –

1. सन्तोष पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी कुन्जी तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. जगवीर उर्फ जगदीश पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसी नोहर–कलमजन।
2. पूनम कंवर पत्नी दयाल सिंह जाति राजपूत निवासी रावतसर तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. रामलाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 247 सन 2024 निर्णय दिनांक 17/06/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 10/8 की कुल 5.4630 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 सन्तोष पत्नी विनोद कुमार जाति जाट सा0 कुन्जी तहसील भादरा खातेदार रहन एसबीआई नोहर – **ख0न0 744 रकबा 3.035 हैक्ट**

2 रामलाल पुत्र श्योकरण जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन एसबीआई शाखा स्टेशन रोड़ नोहर– **ख0न0 746/1 की 0.835 हैक्ट, 747 की 0.961 हैक्ट कुल 1.7960 हैक्ट**

3 पूनम कंवर पत्नी दयालसिंह जाति राजपूत सा0 रावतसर खातेदार– **ख0न0 746/1 रकबा 0.632 हैक्ट**

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 17/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 17:50:27 IST
Reason: SelfAttested